संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

5119

क्रमांक 5119/टीसी/145/डबरा/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक:- 7/12/2022

प्रति,

1 **कलेक्टर,**
जिला ग्वालियर (म.प्र.)।

2 **संयुक्त संचालक,**
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)।

3 **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
जिला पंचायत,
जिला ग्वालियर (म.प्र.)।

4 **मुख्य नगर पालिका अधिकारी,**
नगर पालिका परिषद,
डबरा

विषय:- डबरा विकास योजना, 2031 में मिश्रित में उपांतरण बाबत। (ग्राम रामगढ़ तहसील डबरा जिला ग्वालियर के खसरा क्रमांक 537/3 कुल रकबा 5.8740 में से 0.04678 हेक्टेयर)

संदर्भ:- लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग का म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क) (1) (क) के अधीन आवेदन पत्र क्रमांक 332 दिनांक 13/10/2022 एवं संचालनालय का पत्र क्रमांक 4956 दिनांक 30/11/2022

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, म0प्र0 भोपाल द्वारा **डबरा** विकास योजना, 2031 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी पूर्व में संचालनालय के संदर्भित पत्र दिनांक 30/11/2022 के द्वारा प्रेषित सूचना के स्थान पर संलग्न संशोधित सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ. क्रमांक 5120/टीसी/145/डबरा/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक:- 7/12/2022

प्रतिलिपि:-

1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2- संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल क वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:-7/12/2022

क्रमांक 5117 /टीसी/145/डबरा/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट डबरा विकास योजना 2031 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	रामगढ़ तहसील डबरा जिला ग्वालियर	**537/3**	5.8740	0.04678	बस स्टेण्ड एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
	कुल रकबा		**5.8740**	**0.04678**		

शर्त :-

1 **उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियॉं मान्य होगी।**

2 **उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 एवं डबरा विकास योजना, 2031 के प्रावधानुसार लागू होंगें।**

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉं या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx